निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

करण संख्या 76/2024
दायरा दिनांकः—03.09.2024
निर्णय दिनांकः— 20.11.24

उनवान

1. गिर्राज आयु 35 वर्ष पुत्र भंवरलाल
2. गोरीशंकर आयु 38 वर्ष पुत्र भंवरलाल
3. बदाम बाई आयु 36 वर्ष पुत्री भंवरलाल
4. रामस्वरूप आयु 32 वर्ष पुत्र भंवरलाल
5. विमलेश बाई आयु 34 वर्ष पुत्री भंवरलाल
6. शांतिबाई आयु 70 वर्ष बेवा भंवरलाल जातियान काछी निवासीगण छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. छोटुलाल आयु 40 वर्ष पुत्र रामचन्द्र
2. सोनु आयु 28 वर्ष पुत्र उंकारलाल
3. मोनु आयु 18 वर्ष पुत्र उंकारलाला
4. निशा आयु 19 वर्ष पुत्री उंकारलाल
5. गुलाबबाई आयु 45 वर्ष बेवा उंकारलाल जाति काछी निवासी टोडी मोहल्ला शंकर झरी मन्दिर के पीछे छबडा जिला बारां (राज0)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 20.11.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री राजेश भार्गव — प्रार्थी
2. श्री हसीब आलम — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पुश्तैनी कृषि आराजी खाता संख्या 73 की खसरा नंबर 208 रकबा 00379 80, खसरा नंबर 209 रकबा 0.0759 है०, खसरा नंबर 210 रकबा 0.0506 80. खसरा नंबर 211 रकबा 0.0632 है० कुल किता चार कुल रकबा 0.2276 है0 वाके माल टोडी कस्बा छबड़ा में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी कम 1 ता 6 प्रत्येक का हिस्सा 1/54 नियत है। वादग्रस्त आराजी की नकल जमाबंदी नक्शा ट्रेस संलग्न वाद पेश है, जो वाद/प्रार्थना पत्र का अहम हिस्सा है। जो प्रार्थीगण एव अप्रार्थी कम 1 ता 5 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त आराजियात को लेकर प्रार्थीगण एवं

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ीगण के मध्य आए दिन सीमा विवाद होते रहते हैं। जिससे लड़ाई–झगड़े उत्पन्न होते उक्त आराजी कस्बा छबडा मंदिर नीलकंठ महादेव शंकर झरी के पीछे मुख्य रोड़ से लगवां होने से अप्रार्थी कम 1 मुख्य रोड़ से लगवा भूमि हड़प करना चाहता है। इस हेतु अप्रार्थी कम 1 द्वारा प्रोपर्टी डीलर से सौदा कर लिया व मुख्य रोड से लगवां भूमि को बेचान करने पर आमादा है। जबकि उक्त आराजी के मुख्य रोड से लगवां भूमि पर सभी खातेदारान का बराबर–बराबर हक है। प्रार्थीगण का पुश्तैनी वर्णित सम्पत्ति पर बराबर का हक व अधिकार है एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं कब्जे काश्त अनुसार प्रार्थीगण अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी आराजी विधिवत बंटवारा कर खाता पृथक कराकर प्राप्त करने के वैध अधिकारी है। अभी तक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सहमति से अपने पूर्वजों के समय से अपने–अपने हिस्सों पर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण को खाता पृथक करके अपने हिस्से की भूमि उपजाउ करने की आवश्यकता है। अप्रार्थीगण द्वारा जब शामलाती खाते में से अप्रार्थी कम 1 द्वारा बिना विभाजन रोड़ के सहारे की जमीन प्रोपर्टी डीलरों को बेचने का सौदा किया तो अप्रार्थीगण द्वारा विधिवत बंटवारा करा अपना–अपना हिस्सा पृथक कराने का अनुरोध किया तो अप्रार्थी कम 1 ने साफ इंकार कर दिया व रोड़ के सहारे की भूगि बेचान की धमकी दी। इस कारण प्रार्थीगण के पास माननीय न्ययालय में आने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। अप्रार्थी कम 1 ने अपनी धमकी को कार्यरूप में परिणित कर प्रार्थीगण को उनके हिस्से अनुसार रोड़ की भूमि से बेदखल करने की नियत से रोड़ की भूमि का बेचान प्रोपर्टी डीलर को कर दिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति धन से संभव नहीं हो सकेगी एवं प्रार्थीगण को अनैकानेक वाद–विवादों में उलझकर जेरबार होना पड़ेगा। इस कारण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला प्रार्थीगण पाबंद कराने के वैधानिक अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री अब्दुल हसीब आलम एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम टोडी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 73 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम टोडी पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम टोडी कस्बा छबडा में स्थित है जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी दर्ज है प्रार्थीगण का हिस्सा 1/54 है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन सीमा विवाद होते रहतें है विवादित आराजी कस्बा छबडा मन्दिर नीलकंठ महादेव शंकर झरी के पीछे मुख्य रोड से लगवा होने से अप्रार्थी मुख्य रोड से लगवा भूमि को हडपना चाहता है अप्रार्थीगण प्रोपट्री डीलर को बेचान करने पर आमादा है मुख्य रोड के लगवा भूमि पर सभी खातेदारान का बराबर हक हिस्सा है विवादित आराजी पुश्तेनी आराजी है पुश्तेनी आराजी पर सभी का बराबर हिस्सा है अप्रार्थी भूमि के बिना विभाजन कराये बेचान करने पर आमादा है अप्रार्थीगण को मौके एवं रिकार्ड की यथस्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी की है अप्रार्थी के पास मात्र यही भूमि है भूमि को बेचने के बाद अप्रार्थी बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा। प्रार्थी का यह कथन

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

है कि अप्रार्थी भूमि को बेचने पर आमादा है। प्राथीगण अप्रार्थीगण की भूमि को पना चाहतें है अप्रार्थी को काश्त करने में प्रार्थीगण व्यवधान उत्पन्न करतें है अप्रार्थीगण को भूमि सडक के लगवा है सडक के लगवा कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहता है प्रार्थी भूमि का बटवारा कराना चाहता है बटवारा कराने के लिए हमने कभी मना नही किया है प्रार्थी द्वारा जिस प्रकार व्यावधान किया है वह गलत है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम टोडी कस्बा छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 73 के अनुसार विवादित आराजी पक्षकारान के शामलाती खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। पक्षकारान का मुताबिक जमाबन्दी अलग–अलग हिस्सा दर्ज है बिना बटवारा कराये भूमि के सम्बन्ध में यह नही कहा जा सकता कि यह भूमि किस की है कौन सा खसरा नम्बर किस का है प्रत्येक खसरा नम्बर में प्रत्येक खातेदार का हिस्सा निहित है इसलिए अप्रार्थीगण को भूमि के बटवारे होने तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा